संख्या-39/2022/आ0मि0-153/011-96-2099-1700-2019

प्रेषक,

अनुराधा शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 06 दिसम्बर, 2022

विषय:- उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2022-23 की राज्य वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि रू0 48125.322 लाख के सापेक्ष कुल केन्द्रांश की प्रथम किस्त (25 प्रतिशत) के रूप में निर्गत रू0 7218.792 लाख एवं उसके सापेक्ष संगत राज्यांश रू0 4812.532 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ के पत्र संख्या-553/57एफ/मि0नि0/2022-23 दिनांक 16-11-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2022-23 की राज्य वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि रू0 48125.322 लाख के सापेक्ष कुल केन्द्रांश की प्रथम किस्त (25 प्रतिशत) के रूप में निर्गत रू0 7218.792 लाख एवं उसके सापेक्ष संगत राज्यांश रू0 4812.532 लाख के सापेक्ष राज्यांश रू0 **9,62,50,700 (रुपये नौ करोड़ बासठ लाख पचास हजार सात सौ मात्र)** अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, होम्योपैथी एवं मिशन निदेशक का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, होम्योपैथी एवं मिशन निदेशक द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर ही किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। किन्ही अन्य कार्य-मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) इस योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।
(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त किये जा रहे इस केन्द्रांश/राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का कोषागार से आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।

(7) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, होम्योपैथी एवं मिशन निदेशक की होगी।

(8) यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
(9) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(10) व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,62,50,700 (रुपये नौ करोड़ बासठ लाख पचास हजार सात सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 034 **लेखा शीर्षक** 2210051028901 राष्ट्रीय आयुष मिशन **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-ई-3-415/दस-2022-23 दिनांक-03-12-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(अनुराधा शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-39/2022/आ0मि0-153(1)/011-96-2099-1700-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आई0एन0ए0, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7- श्री शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता)अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।